N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0101 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 25/04/2025 13:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 09/12/2024 Date To (दिनांक तक): 10/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:10 बजे Time To (समय तक): 15:05 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 25/04/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 25/04/2025 13:10:44 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 6.5 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): POLICE THANA RAMGANJ, JILA AJMER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HEMRAJ

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOVIND NAGAR RAMGANJ RAM MANDIR KE PASS, AJMER, RAMGANJ(AJMER), AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOVIND NAGAR RAMGANJ RAM MANDIR KE PASS, AJMER, RAMGANJ(AJMER), AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA KUMAR		पिता:RAMCHANDRA	1. TABEEJEE,RAMGANJ(AJMER), AJMER,RAJASTHAN,INDIA
2	SANWARLAL URF SANWARA GURJAR		पिता:BHANWARLAL GURJAR	1. DUMADA,MANGALIAWAS,AJME

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		60,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 60,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर। विषयः-रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए। महोदय,उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं अजय कुमार पिता श्री हेमराज जाति ठाकुर निवासी गोविन्दनगर रामगंज, राममन्दिर के पास पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर का निवासी हूं। मैं सोमानी की फर्म में अकाउण्ट का काम करता हूं। ब्यावर रोड राजू होटल के सामने श्री सांवरलाल गुर्जर की मिठाई की दूकान है। मेरा उससे पहले से परिचय है। अगस्त 2024 में सांवरलाल गुर्जर ने मुझे कहा तुम्हारे खिलाफ हनीफ खान नामक व्यक्ति ने रामगंज थाने में धोखाधडी का एक केस कराया है, जिसकी जांच राजेन्द्र टाक पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है। वह मेरा परिचित है। यदि तुम राजेन्द्र टाक के लिए खर्चा-पानी दो तो मैं तुम्हारे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट में मदद करा सकता हूं, नहीं तो राजेन्द्र टाक ने कहा है- मैं अजय कुमार को जेल भेजूंगा। मैंने कहा हनीफ ने कुछ दिन पूर्व मेरे से एसियन पेन्ट कंपनी के नंबर मांगे थे, जो मैंने उसे दिए। इसके अलावा मेरी हनीफ से कोई लेनदेन/बातचीत नही हुई। तो सांवरलाल ने कहा तुम जल्दी राजेन्द्र टाक को रिश्वत में रूपये दे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही कर देगा। इसके कुछ दिन बाद सांवरलाल ने अपने मोबाईल नंबर [redacted] से मेरे मोबाईल नंबर [redacted] पर फोन कर मुझे राजेन्द्र से मिलने के लिए रामगंज थाने बुलाया। मैं सांवरलाल के कहेनुसार रामगंज थाने गया, जहां थाना परिसर में एक कमरे में मुझे सांवरलाल व एक पुलिसकर्मी मिला, उसने अपना नाम राजेन्द्र टाक बताया तथा कहा तुम्हारे खिलाफ हनीफ खान ने धोखाधडी की रिपोर्ट कराई, इसकी जांच मैं कर रहा हूं, तुम खर्चा पानी करो तो कागज कोर्ट में पेश नहीं करूंगा तथा तुम्हे परेशान नहीं करूंगा। सांवरलाल व राजेन्द्र टाक ने मेरे खिलाफ कार्यवाही नहीं करने, परेशान नहीं करने की एवज में 80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरा कार्बन कंपनी का पुराना मोबाईल फोन राजेन्द्र टाक ने रख लिया। इस फोन में मैं मोबाईल नंबर [redacted] से व्हाटसअप चलाता था। मैं कमरे मे बाहर आया तथा सांवरलाल ने राजेन्द्र टाक को देने के लिए मेरे से 20,000 रूपये नगद उसी दिन ले लिए तथा कहा 60,000 रूपये की कुछ दिनों में व्यवस्था कर देना। मैं कई दिनों तक पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। इस बीच श्री सांवरलाल ने मुझे अपने मोबाईल फोन से रूपयें देने हेतु कई बार फोन किये, तो मैं टालमटोल करता रहा। दिनांक 06.12.2024 को सांवरलाल का फोन मेरे पास आया तथा कहा यदि तुमने शेष 60,000 रूपये नहीं दिए तो श्री राजेन्द्र टाक तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेगा, तुम्हे गिरफ्तार करेगा तथा तुम्हारा फोन भी वापस नहीं देगा। तो मैंने उसे कहा मैं 2-4 दिन में रूपयों की व्यवस्था करूंगा। मैं राजेन्द्र टाक पुलिसकर्मी व उसके दलाल श्री सांवरलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं उन्हे रिश्वत राशि लेते हुए पकडाना चाहता हूं। दिनांक 09.12.2024 प्रार्थी एसडी अजय कुमार पिता हेमराज कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.12.2024 समय 01-10 पीएमः- उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट परिवादी श्री अजय कुमार ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भागचन्द्र मीणा को पेश की । जिस पर पुलिस उप अधीक्षक श्री रुप सिह को एएसपी साहब ने अपने कक्ष मे बुलाकर परिवादीश्री अजय कुमार का परिचय करवाकर रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठाकंन करके रिपोर्ट सुपुर्द की । श्री अजय कुमर ने दरियाफ्त पर बताया कि मैं सोमानी की फर्म में अकाउण्ट का काम करता हूं। ब्यावर रोड राजू होटल के सामने श्री सांवरलाल गुर्जर की मिठाई की दूकान है। मेरा उससे पहले से परिचय है। अगस्त 2024 में सांवरलाल गुर्जर ने मुझे कहा तुम्हारे खिलाफ हनीफ खान नामक व्यक्ति ने रामगंज थाने में धोखाधडी का एक केस दर्ज कराया है, जिसकी जांच राजेन्द्र टाक पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है। वह मेरा परिचित है। यदि तुम राजेन्द्र टाक के लिए खर्चा-पानी दो तो मैं तुम्हारे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट में मदद करा सकता हूं, नहीं तो राजेन्द्र टाक ने कहा है- मैं अजय कुमार को जेल भेजूंगा। मैंने कहा हनीफ ने कुछ दिन पूर्व मेरे से एसियन पेन्ट कंपनी के नंबर मांगे थे, जो मैंने उसे दिए। इसके अलावा मेरी हनीफ से कोई लेनदेन/बातचीत नही हुई। तो सांवरलाल ने कहा तुम जल्दी राजेन्द्र टाक को रिश्वत में रूपये दे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही कर देगा। इसके कुछ दिन बाद सांवरलाल ने अपने मोबाईल नंबर [redacted] से मेरे मोबाईल नंबर [redacted] पर फोन कर मुझे राजेन्द्र से मिलने के लिए रामगंज थाने बुलाया। मैं सांवरलाल के कहेनुसार रामगंज थाने गया, जहां थाना परिसर में एक कमरे में मुझे सांवरलाल व एक पुलिसकर्मी मिला, उसने अपना नाम राजेन्द्र टाक बताया तथा कहा तुम्हारे खिलाफ हनीफ खान ने धोखाधडी की रिपोर्ट कराई, इसकी जांच मैं कर रहा हूं, तुम खर्चा पानी करो तो कागज कोर्ट में पेश नहीं करूंगा तथा तुम्हे परेशान नहीं करूंगा। सांवरलाल व राजेन्द्र टाक ने मेरे खिलाफ कार्यवाही नहीं करने, परेशान नहीं करने की एवज में 80,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा मेरा कार्बन कंपनी का पुराना मोबाईल

फोन राजेन्द्र टाक ने रख लिया। इस फोन में मैं मोबाईल नंबर [redacted] से व्हाटसअप चलाता था। मैं कमरे से बाहर आया तथा सांवरलाल ने राजेन्द्र टाक को देने के लिए मेरे से 20,000 रूपये नगद उसी दिन ले लिए तथा कहा 60,000 रूपये की कुछ दिनों में व्यवस्था कर देना। मैं कई दिनों तक पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। इस बीच श्री सांवरलाल ने मुझे अपने मोबाईल फोन से रूपयें देने हेतु कई बार फोन किये, तो मैं टालमटोल करता रहा। दिनांक 06.12.2024 को सांवरलाल का फोन मेरे पास आया तथा कहा यदि तुमने शेष 60,000 रूपये नहीं दिए तो श्री राजेन्द्र टाक तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेगा, तुम्हे गिरफ्तार करेगा तथा तुम्हारा फोन भी वापस नहीं देगा। तो मैंने उसे कहा मैं 2-4 दिन में रूपयों की व्यवस्था करूंगा। मैं राजेन्द्र टाक पुलिसकर्मी व उसके दलाल श्री सांवरलाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं उन्हे रिश्वत राशि लेते हुए पकडाना चाहता हूं। मेरी राजेन्द्र टांक व श्री सावर लाल से कोई दुसमनी नही है तथा हमारी आपस में लेन देन बकाया नही है। श्री अजय कुमार द्वारा प्रस्तुत शुदा रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग व लेनदेन का पाया जाने पर रिश्वत राशि की मांग के सत्यापन व अग्रिम कार्यवाही के बारे में परिवादी को समझाईश की गई। परिवादी ने कहा कि आज मेरा आवश्यक काम है। आईन्दा मैं श्री सांवरलाल व श्री राजेन्द्र टाक के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको सूचित कर दूंगा। परिवादी को कार्यालय में मौजूद श्री रविन्द्र सिंह, कानि0 308 से मिलाकर दोनो का आपस में परिचय कराया गया तथा दोनो के मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान कराया गया। परिवादी ने कहा कि दोनो के बारे में जानकारी मिलने पर मैं श्री रविन्द्र सिंह को सूचित कर दूंगा। कानि0 श्री रविन्द्र सिंह को हिदायत दी कि परिवादी श्री अजय कुमार का फोन या व्हाटसअप कॉल आने पर तुरंत डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के लेकर परिवादी के बताये स्थान पर मिले। दिनांक 09.12.2024 समय 02.15 पीएम पर परिवादी अजय कुमार को गोपनीयता की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 10.12.2024 समय 03.05 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह ने पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पास श्री अजय कुमार का उसके मोबाईल नंबर [redacted] से फोन आया तथा बताया कि सांवरलाल ने मुझे आज शाम तक बुलाया है। समय 07.00 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह ने पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पास श्री अजय कुमार का उसके मोबाईल नंबर [redacted] से फोन आया तथा बताया कि सांवरलाल ने मुझे अब बुलाया है, आप ब्यावर रोड पर चौधरी होटल के पास पहूंचो। इस पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर ब्यावर रोड पर चौधरी होटल उसकी निजी मोटरसाईकल से रवाना किया। समय 08.25 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह कार्यालय में हाजिर आया। स्विच ऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। कानि0 ने बताया कि कार्यालय से रवाना होकर ब्यावर रोड पर चौधरी होटल के पास पहूंचा। जहां श्री अजय कुमार अपने वाहन के साथ अपने भाई श्री धीरज के साथ हाजिर मिला। मैंने श्री अजय कुमार को डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई। हम तीनों वहां से रवाना होकर ब्यावर रोड स्थित चुंगी चौकी पहूंचे। वहां अजय कुमार ने श्री सांवरलाल को फोन कर उसकी स्थिति जानी तो उसने तारागढ रोड, आशु स्विटस के पास मिलने के लिए कहा। इस पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर श्री अजय कुमार को सुपूर्द कर उसके शर्ट की उपरी जेब में रखवाया। अजय कुमार व धीरज को उसके वाहन से सांवरलाल के कहे स्थान पर रवाना किया। कुछ समय पश्चात दोनो वापस आए। मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास रखा। श्री अजय कुमार ने बताया कि हम दोनो रवाना होकर तारागढ रोड, आशु स्विटस के पास पहूंचें। जहां श्री सांवरलाल आया। उसने बातचीत के दौरान फोन कर श्री राजेन्द्र टाक को बुलाया। राजेन्द्र टाक भी कुछ देर बाद वहां आया। उन्होने बातचीत के दौरान 60,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहा तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही नहीं करूंगा, तुम्हारा फोन भी वापस कर दूंगा। मैंने रिश्वत राशि कम करने हेतु विनती की परन्तु उन्होनें कम नहीं किए तथा कहा पूर्व में जो बात हो गई, वही पक्की है। राजेन्द्र टाक बातचीत के दौरान सावचेत होकर बातचीत कर रहा था। उसने मेरे स्वेटर की जेबों पर हाथ भी फेरा तथा कहा आजकल समय खराब है, कुछ लेकर तो नहीं आए। मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आया। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने बताया कि अजय कुमार ने कहा कि रिश्वत में दी जाने वाली 60,000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मैं कार्यालय मे आउंगा। उन दोनो को रूख्सत कर हाजिर आया। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 द्वारा पेश डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर सुना तो रविन्द्र सिंह के बातों की ताईद हुई। बातचीत के दौरान रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया । आईन्दा परिवादी व गवाहान के समक्ष फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जाएगी। समस्त हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए दिनांक 11.12.2024 समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार व श्री धीरज कार्यालय मे हाजिर आए। श्री अजय कुमार से मांग सत्यापन के बारे में पूछताछ की तो दिनांक 10.12.2024 को रविन्द्र सिंह द्वारा बताई गई बात की ताईद करते हुए बताया कि दिनांक 10.12.2024 को रविन्द्र सिंह मुझे ब्यावर रोड पर मिला। रविन्द्र सिंह ने मुझे डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई। हम वहां से रवाना होकर ब्यावर रोड, चुंगी चौकी पर पहूंचें। मैंने सांवरलाल को फोन कर उसकी स्थिति जानी तो उसने तारागड रोड, आशु स्वीटस के पास मिलने को कहा। मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑनशुदा श्री रविन्द्र से प्राप्त कर मेरी शर्ट की उपरी जेब में रखा। मैं व मेरा भाई धीरज को हमारे वाहन से सांवरलाल के कहे स्थान पर रवाना होकर तारागढ रोड, आशु स्विटस के पास पहूंचें। जहां श्री सांवरलाल आया। उसने बातचीत के दौरान फोन कर श्री राजेन्द्र टाक को बुलाया। राजेन्द्र टाक भी कुछ देर बाद वहां आया। उन्होने बातचीत के दौरान 60,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहा तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही नहीं करूंगा, तुम्हारा फोन भी वापस

कर दूंगा। मैंने रिश्वत राशि कम करने हेतु विनती की परन्तु उन्होनें कम नहीं किए तथा कहा पूर्व में जो बात हो गई, वही पक्की है। राजेन्द्र टाक बातचीत के दौरान सावचेत होकर बातचीत कर रहा था। उसने मेरे स्वेटर की जेबों पर हाथ भी फेरा तथा कहा आजकल समय खराब है, कुछ लेकर तो नहीं आए। मैं वहां से रवाना होकर रविन्द्र सिंह के पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर रविन्द्र सिंह को सुपुर्द किया। मैंने उन्हे कहा मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में समय लगेगा। इस पर उन्होने मुझे रिश्वत राशि की शीघ्र व्यवस्था करने की समझाईश व गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई व अवगत कराया कि श्री सांवरलाल व श्री राजेन्द्र टाक के मिलने पर सीधी रिश्वत राशि उन्हे नहीं दे। मुझे या श्री रूप सिंह, पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावे व कोई बहाना कर रिश्वत राशि के लेनदेन हेतु समय ले। रविन्द्र सिंह वहां से रवाना हो गया। परिवादी को पूछा कि पूर्व में रिश्वत राशि 20,000 रूपये कब दिए व श्री सांवरलाल का मोबाईल फोन कब-कब आया, तो परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि 20,000 रूपये मैंने सांवरलाल को अगस्त 2024 में दिए थे, तारीख मुझे याद नहीं। सांवरलाल का फोन मेरे पास अगस्त 2024 में कई बार आया, अभी तारीख मुझे याद नहीं। अजय कुमार ने बताया कि मेरे भाई श्री धीरज को पिन्कु नाम से बोला व जाना जाता है। परिवादी को रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में समय लगेगा। परिवादी को रिश्वत राशि की शीघ्र व्यवस्था करने व गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई कि सांवरलाल या राजेन्द्र टाक के मांगने पर उन्हे सीधी रिश्वत राशि नहीं दे तथा कोई बहाना कर समय मांगकर तुरंत पुलिस उप अधीक्षक या श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को सूचित करे। समय 04.30 पीएम पर हिदायत देकर परिवादी श्री अजय कुमार व श्री धीरज को कार्यालय से रूख्सत किया गया। हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए। दिनांक 12.12.2024 समय 12.10 पीएम पर कानि0 श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि परिवादी अजय कुमार से रिश्वत राशि की व्यवस्था के बारे में पूछा तो व्यवस्था नहीं होना बताया तथा दिनांक 13.12.2024 को सुबह 11.00 पर कार्यालय में आना बताया। परिवादी ने कल दिनांक 13.12.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय मे आना बताया है। अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध कराने एक पत्र अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर को जरिए मेल प्रेषित किया। अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर द्वारा जरिए मेल सूचित किया कि स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट प्रथम, अजमेर को निर्देश दिए है। मेल शामिल कार्यवाही किया गया तथा दिनांक 13.12.2024 को 10.30 एएम पर गवाहान उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिम ऑडिट प्रथम, अजमेर के मोबाईल नंबर 9672691706 पर वार्ता की गई। दिनांक 13.12.2024 समय 10.30 एएम पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट प्रथम, वाणिज्य कर विभाग अजमेर का पत्र क्रमांक 328 दिनांक 13.12.2024 लेकर गवाह श्री पुखराज छींपा व श्री जितेन्द्र परचवानी कार्यालय में हाजिर आया। हर दोनो का परिचय पूछा तो श्री जितेन्द्र परचवानी पुत्र श्री स्व एन.एम. परचवानी उम्र 52 वर्ष निवासी 4क 12 राम विहार कॉलोनी, वैशाली नगर अजमेर पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज अजमेर हाल निजी सहायक-द्वितीय वाणिज्य कर विभाग, बिजनिस ऑडिट प्रथम, अजमेर मोबाईल नंबर [redacted] व श्री पुखराज छींपा पुत्र श्री काशीराम छींपा उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं0 2 तारानगर जिला चुरू पुलिस थाना तारानगर हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट प्रथम, अजमेर मोबाईल नंबर [redacted] होना बताया। समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार व श्री धीरज कार्यालय में हाजिर आए। परिवादी को रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करने में समय लगेगा। मांग सत्यापन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लेकर परिवादी का परिचय कार्यालय में मौजूद स्वतंत्र गवाहान श्री पुखराज छींपा व श्री जितेन्द्र परचवानी से करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को पेश की गई हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन कराया जाकर कार्यवाही के हालात से अवगत करवाया गया व मांग सत्यापन वार्ता के बारे में बताया गया। हर दोनो ने कार्यवाही मे संतुष्टि जाहिर कर अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान बनने हेतु अपनी अपनी मौखिक सहमति दी। हर दोनो ने परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार, गवाहन श्री पुखराज छींपा व जितेन्द्र परचवानी की मौजूदगी में परिवादी श्री अजय कुमार व गवाहान श्री जितेन्द्र परचवानी व श्री पुखराज छींपा के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को शब्द-ब-शब्द सुनकर श्री प्रदीप सिंह, शीघ्रलिपिक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार कर मैमोरी कार्ड के रिकार्ड वार्ता के दो पेन ड्राइव तैयार किए गए, जिसमें एक को आरोपीगण के लिए व एक अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा जाएगा। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैजवैल्यू निकाली गई। मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक बॉक्स में रखकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट किया गया, नमूना सील अंकित की गई। कार्रवाई 1-50 पीएम पर पुर्ण कीगई समय 02.00 पीएम पर गवाहान श्री पुखराज छींपा व श्री जितेन्द्र परचवानी को व परिवादी श्री अजय कुमार को मकूल हिदायत देकर श्री धीरज के साथ रवाना किया गया। मैमोरी कार्ड का सिल्डशुदा आर्टिकल जमा मालखाना कराया गया। दिनांक 09.01.2025 समय 05.24 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाईल नंबर [redacted] पर संपर्क कर अग्रिम कार्यवाही के बारे में अवगत कराने हेतु कहा तो रविन्द्र सिंह ने बताया कि श्री अजय कुमार ने कहा कि कल दिनांक 10.01.2025 को मैं स्वयं अग्रिम कार्यवाही के बारे में कार्यालय में आउंगा। दिनांक 10.01.2025 समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार

कार्यालय में हाजिर आए। परिवादी से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारे में बातचीत की तो बताया कि श्री राजेन्द्र टाक से बातचीत कर उसके कहेनुसार स्थान पर मिलना उचित होगा। परिवादी ने बताया कि मुझे जानकारी मिली कि श्री राजेन्द्र टाक वर्तमान में उर्स ड्यूटी में तैनात है। इसलिए पहले उससे फोन पर वार्ता कर उसके कहेनुसार स्थान पर मिलकर मेरे मोबाईल फोन व रिश्वत राशि के लेनदेन के बारे में बातचीत करना उचित होंगा। समय 01.25 पीएम पर समय 12.38 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाईल नंबर [redacted] से श्री राजेन्द्र टाक के मोबाईल नंबर [redacted] पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर दो बार कॉल कराया परन्तु श्री राजेन्द्र टाक ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर दलाल श्री सांवरलाल के मोबाईल नंबर [redacted] पर वार्ता कराना तय कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर समय 01.05 पीएम पर परिवादी अजय कुमार से कॉल कराया तो श्री सांवरलाल ने फोन नहीं उठाया। इस पर 01.11 पीएम पर पुनः कॉल कराया तो कहा कौन अजय कुमार, मैंने नहीं पहचाना इत्यादि बातचीत की। परन्तु रिश्वत राशि के संबंध में कोई वार्ता नहीं की। परिवादी से समय 01.13 पीएम पर पुनः श्री राजेन्द्र टांक के मोबाईल नंबर [redacted] कॉल कराया तो फोन नहीं लगा। परिवादी को हिदायत देकर रूख्सत किया दिनांक 14.01.2025 पुलिस उप अधीक्षक श्री रूपसिंह का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे उदयपुर रेन्ज हो जाने से ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित पत्रावली मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के आईओ व आरोपीगण के कुल दो पैन ड्राईव सुपुर्द किये गये। दिनांक 10.01.2025 को परिवादी सांवरलाल के मोबाईल फोन पर हुई वार्ता का मैमोरी कार्ड मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किये गये। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया समस्त दस्तावेजात व पैन ड्राईव एंव मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखे। ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में मालुमात की तो श्री राजेन्द्र टाक व श्री सांवरलाल द्वारा परिवादी श्री अजय कुमार से कोई सम्पर्क नहीं करना बताया गया। आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रीम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 21.02.2025 समय 12.57 पीएम को मन् निरीक्षक द्वारा अपने मोबाइ्रल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि उसे ना तो सांवरलाल मिला और ना ही राजेन्द्र टांक मिला है तथा ना ही उक्त दोनो में से किसी ने मुझसे कोई सम्पर्क किया है। उन्हे कुछ शंका होने की संम्भावना है। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई की राजेन्द्र टांक अथवा सांवरलाल से कोई भी सम्पर्क होने की सम्भावना होने पर तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस को सुचित करे। दिनांक 05.03.2025 समय 11.05 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार तलबी पर उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि श्री राजेन्द्र टाक अथवा श्री सांवरलाल से मैने सम्पर्क करने की कोशिश की मगर कोई भी सम्पर्क नही तथा एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि दिनांक 09.12.2024 को मैने एक हस्तलिखित रिपोर्ट एसीबी चौकी अजमेर पर उपस्थित होकर दी थी कि सांवरलाल गुर्जर ने मुझे कहा कि तुम्हारे खिलाफ हनीफ खान नामक व्यक्ति ने रामगंज थाने में धोखाधडी का एक केस कराया है, जिसकी जांच राजेन्द्र टाक पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है। वह मेरा परिचित है। यदि तुम राजेन्द्र टाक के लिए खर्चा-पानी दो तो मैं तुम्हारे विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट में मदद करा सकता हूं, नहीं तो राजेन्द्र टाक ने कहा है- मैं अजय कुमार को जेल भेजूंगा। जिसके बाद मैं राजगंज थाने गया जहां पर श्री सांवरलाल व श्री राजेन्द्र टॉक हैड कानि ने मेरे विरूध्द धोखाधडी की रिपोर्ट में कार्यवाही नहीं करने व परेशान नहीं करने की ऐवज में दिनांक 10.12.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में साठ हजार रूपये की मांग की थी। लैकिन बाद में दिनांक 10.01.2025 को मैने श्री सांवरलाल से मोबाईल फोन पर बात की तो उसने मुझे पहचाना नहीं तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की तथा श्री राजेन्द्र टॉक ने मेरा कॉल भी अटैण्ड नहीं किया। इस प्रकार श्री राजेन्द्र टांक हैड कानि व श्री सांवरलाल को ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में शंका हो गई है। इसलिए दोनो मुझसे कोई सम्पर्क नहीं कर रहे है। तथा वो मुझसे रिश्वत राशि भी ग्रहण नहीं करेगे। अतः अब आगे कार्यवाही किया जाना सम्भवं नहीं है। जिस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। समय 11.15 एएम पर तलबी पर स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र परचवानी पुत्र श्री स्व एन.एम. परचवानी उम्र 52 वर्ष निवासी 4क 12 राम विहार कॉलोनी, वैशाली नगर अजमेर पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज अजमेर हाल निजी सहायक-द्वितीय वाणिज्य कर विभाग, बिजनिस ऑडिट प्रथम, अजमेर व श्री पुखराज छींपा पुत्र श्री काशीराम छींपा उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं0 2 तारानगर जिला चुरू पुलिस थाना तारानगर हाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट प्रथम, अजमेर उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। समय 11.25 एएम पर परिवादी श्री अजय कुमार व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र परचवानी एवं श्री पुखराज छींपा उपस्थिति में दिनांक 10.01.2025 को हुई परिवादी श्री अजय कुमार के मोबाईल नंबर [redacted] से श्री सांवरलाल प्राइवेट व्यक्ति के मोबाईल नंबर [redacted] पर मोबाईल वार्ता जो डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड में रक्षित है, को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द ट्रांसस्क्रिप्ट मेरे द्वारा तैयार की गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री अजय कुमार द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड महित डिजिटल वॉयस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर के लेपटॉप की सहायता से चार पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तैयार किये गये। तथा हैश वैल्यु निकाली गई। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर प्लास्टिक के बॉक्स मे रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क ए अंकित किया गया। तीन पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उन्ही की पैकिंग में रखा जाकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्ड चिट किया जाकर

सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क ए 1 (न्यायालय हेतु) एंव ए 2 (आरोपी हेतु) एवं ए .3 (आरोपी हेतु) अंकित किया गया। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया। साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया गया। सभी शिल्ड शुदा प्रार्दशो को जमा मालखान कराया गया। कार्रवाई 1-00 पीएम तक सम्पादित की गई। समय 2-00 पीएम पर परिवादी श्री अजय कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र परचवानी एवं श्री पुखराज छीपां को बाद कार्यवाही रूखस्त कार्यालय किया गया। उपरोक्त तथ्यो से पाया गया कि श्री अजय कुमार पिता श्री हेमराज जाति ठाकुर निवासी गोविन्दनगर रामगंज, राममन्दिर के पास पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर के विरूद्व पुलिस थाना रामंगज में दर्ज धोखधडी के प्रकरण में मदद करने व परेशान नही करने के नाम पर श्री राजेन्द्र टांक हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर द्वारा श्री सावंर लाल गुर्जर दलाल के माध्यम से 80000 रूपये रिश्वत की मांग कर 20000 रूपये श्री सांवर लाल गुर्जर द्वारा प्राप्त किये जाकर दिनांक 10.12.2024 को मांग सत्यापन रिश्वत राशि में आरोपी श्री राजेन्द्र टॉक द्वारा श्री सांवरलाल की मौजुदगी में 60000 रूपये की रिश्वत राशि की और मांग करना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र टाक उम्र 45 साल जाति टाक निवासी तबीजी थाना मांगलियावास जिला अजमेर तत्तकालीन हैड कानि 93 पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर 2. श्री सावंरलाल उर्फ सांवरा गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम 37 साल निवासी डुमाडा थाना मांगलियावास जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूध्द अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया जाता हैं। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र टाक उम्र 45 साल जाति टाक निवासी तबीजी थाना मांगलियावास जिला अजमेर तत्तकालीन हैड कानि 93 पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर 2. श्री सावंरलाल उर्फ सांवरा गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम 37 साल निवासी डुमाडा थाना मांगलियावास जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थआन जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं। सल्गंन-1- बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट । 2.आरोपी का सेवा विवरण 1 भवदीय, (दीनदयाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। ....कार्यवाही पुलिस............... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1-श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र टाक उम्र 45 साल जाति टाक निवासी तबीजी थाना मांगलियावास जिला अजमेर तत्तकालीन हैड कानि 93 पुलिस थाना रामगंज जिला अजमेर 2. श्री सावंरलाल उर्फ सांवरा गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम 37 साल निवासी डुमाडा थाना मांगलियावास जिला अजमेर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मीना बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर, को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 380 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 577-80 दिनांक 25.04.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर 3.-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** meera beniwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/04/2025 13:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/08/1979				
2	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)